कृषि एवं खाद्य प्रबंध

8
अध्याय

भारतीय कृषि क्षेत्र व्यापक रूप से सफलता की कहानी है। विगत कुछ वर्षों में मौसम और कीमतों में झटकों के बावजूद इसका निष्पादन पर्याप्त अच्छा रहा है। भारत दूध, दालों, जूट और जूट जैसे रेशों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फलों एवं कपास उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा मसालों, रोपण फसलों पशुधन, मात्स्यिकी तथा कुक्कुट पालन के क्षेत्र में अग्रणी उत्पादनकर्त्ता रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में स.घ.उ. में 3.6% की औसत वार्षिक वृद्धि देखने में आई, जबकि लक्ष्य 4.0% का था। ऐसा माना जा सकता है कि कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों के निष्पादन लक्ष्य में गिरावट आई है तो भी उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है और जनसंख्या की तुलना में उत्पादन दुगुनी गति से बढ़ रहा है। भारत का कृषि निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कई अन्य अग्रणी उत्पादनकर्त्ता में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। बेहतर कृषि उत्पादन के परिणामस्वरूप (क) किसानों को बेहतर कीमतें मिल रही हैं, (ख) लगातार प्रौद्योगिकी लाभ की प्राप्ति और (ग) उपयुक्त तथा सामयिक नीतियां बन रही हैं। फिर भी, भारत ऐसे मोड़ पर है जहां सतत् विकास के लिए कृषि में और अधिक कौशल और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सुधारों की तत्काल और अधिक अपेक्षा है। बाजार की उपयुक्त भूमिका और अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने की स्थिति में स्थिर और संगत नीतियों की आवश्यकता होती हैं। ऐसी कुशल आपूर्ति श्रृंखला महत्वपूर्ण होगी जो फुटकर मांग और किसानों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करती हो। कृषि हेतु अभिधेय व्यापार नीति से कृषि प्रोत्साहनों के यौक्तिकरण और खाद्य मूल्य प्रबंधन सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी। साथ ही इन पहलों को कौशल विकास और बेहतर अनुसंधान एवं विकास के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। साथ ही ऋण, बीज, जोखिम प्रबंधन उपकरणों और अन्य इनपुटों की भी और अधिक व्यवस्था किए जाने की जरूरत है ताकि सतत् और जलवायु के अनुसार कृषि संबंधी परिपाटियों को सुनिश्चित किया जा सके। अंततः ऐसी स्थिति में जब खाद्यान्न की कीमतों में तेज उछाल विशेषकर प्रोटीन, फल, सब्जियों और सार्वजनिक क्षेत्र में खाद्यान्नों का बढ़ता हुआ स्टॉक बहस का विषय बना हुआ है तब सापेक्ष मांग के अनुरूप कीमत निर्धारण और खाद्य प्रबंधन के पारंपरिक उपकरणों की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

8.2 यद्यपि सहबद्ध कार्यकलापों समेत कृषि क्षेत्र 2011-12 में स्थिर (2005-05) कीमतों पर स.घ.उ. का केवल 14.1% बैठता है तो भी 2001 की जनगणना के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार में इसका हिस्सा काफी अधिक है। और यह निरंतर बढ़ते हुए 58.2% बना हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का कम होता हिस्सा किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य विकास के लिए आवश्यक है और रोजगार अवसरों, आय, तथा खाद्य सुरक्षा के लिए तेज कृषि विकास अनिवार्य बना हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के समान 4% बना हुआ है।

कृषि क्षेत्र का निष्पादन

8.3 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर किंचित गिरावट के साथ 3.6% बनी रही जबकि लक्ष्य 4% का था तथापि प्राप्त वृद्धि दर क्रमशः 9वीं और 10वीं योजनाओं के दौरान प्राप्त 2.5% तथा 2.4% की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में पर्याप्त अधिक रही। 2009 (दक्षिण-पश्चिमी मौनसून में कमी) 2010-11 (सूखा कुछ राज्यों में वर्षा की कमी) और 2012-13 (विलंबित और कम मानसून) के दौरान बड़े मौसम संबंधी आघातों के बावजूद वृद्धि दर पर्याप्त स्थित रही। इसका प्रमुख कारण इस क्षेत्र के स.घ.उ. के सापेक्ष सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में उछाल रहा है, जो निरंतर सुधरता रहा है और 2007-08 में 16.1% से बढ़कर 2011-12 (2004-05 की स्थिर कीमतों पर) 19.8% हो गया। (सारणी 8.1)

8.4 कृषि क्षेत्र में समग्र जीसीएफ (सहबद्ध क्षेत्र सहित) विगत 10 वर्षों में दोगुने से भी अधिक हो गया और इसमें औसतन 8.1% की वृद्धि दर्ज की गई। जीसीफ की वृद्धि 11वीं योजना (2007-12) में बढ़कर 9.7% हो गई, जबकि 10वीं योजना (2002-07) के दौरान यह 2.7% थी। 8वीं योजना (पहले चार

सारणी 8.1 : कृषि क्षेत्रः मुख्य संकेतक

(प्रतिशत)

क्र. सं.	मद	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12 पहला संशोधन
1.	सघउ-हिस्सा तथा वृद्धि (2004-05 कीमतों पर) कृषि तथा सम्बद्ध में	5.8	0.1	0.8	7.9	3.6
	क्षेत्रों सघउ में वृद्धि सघउ में हिस्सा-कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	16.8	15.8	14.6	14.5	14.1
	कृषि	14.3	13.4	12.3	12.3	12.0
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4
	मात्स्यिकी	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
2.	देश में कुल सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा (2004-05 कीमतों पर)					
	कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	6.4	7.8	7.3	6.2	6.8
	कृषि	5.9	7.2	6.7	5.6	6.2
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
	मात्स्यिकी	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
3.		16.1	19.4	20.1	18.4	19.8
4.	2001 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों के भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में रोजगार			58.2		

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा कृषि और सहकारिता विभाग

चित्र 8.1: कृषि में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ)

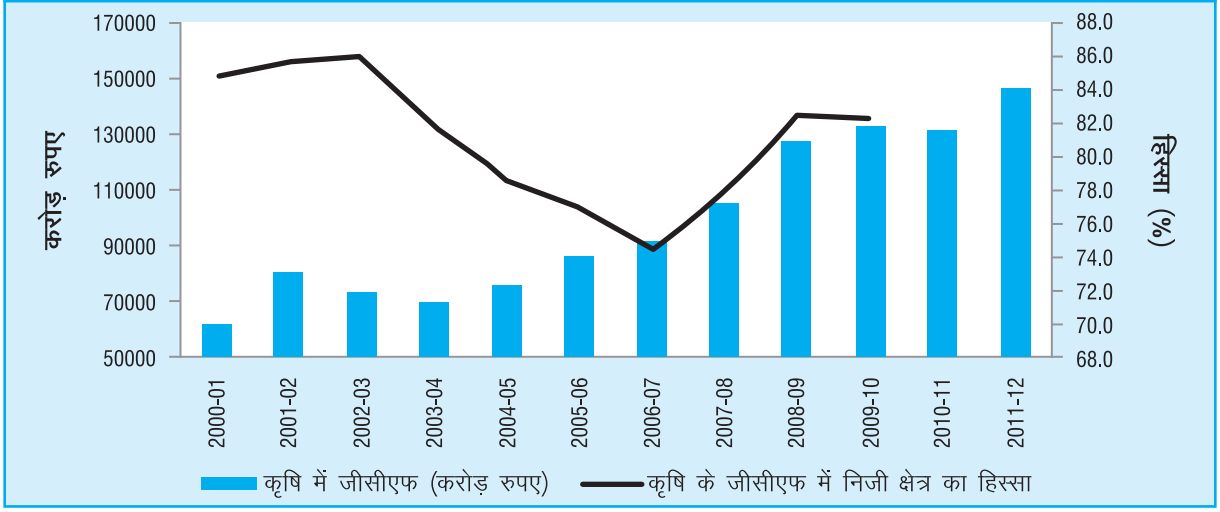

वर्षों) के दौरान औसत 12.5% की वार्षिक प्राइवेट निवेश वृद्धि दर 10वीं योजना के दौरान लगभग अवरुद्ध निवेश वृद्धि दर की तुलना में पर्याप्त रूप से अधिक थी।

मानसून 2012 के दौरान वर्षा

8.5 भारतीय कृषि क्षेत्र का निष्पादन आज भी वर्षा और दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर), जिस दौर में वर्ष भर में कुल 75% वर्षा होती है, पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता को यथेष्ट रूप से प्रभावित करता है। 2012 के दौरान सम्पूर्ण देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की बारिस दीर्घावधि औसत (एलपीए) की तुलना में 8.1% रही। उत्तर-पश्चिम भारत में मौसमी बरसात अपने एल.पी.ए. का 93%, केन्द्रीय भारत में 96%, प्रायद्वीप भारत में 90% तथा उत्तर-पूर्व भारत में 89% रही। देश में कुल 36 मौसम विज्ञान संबंधी उपमंडलों में 23 में अधिक सामान्य वर्षा हुई और शेष मंडलों में कम वर्षा हुई। (सारणी 8.2)

8.6 आधी से अधिक जोत क्षेत्र मानसून पर निर्भर है और इसके लिए पहले से सूचना बहुत ही आवश्यक है। संपूर्ण देश के लिए मानसून संबंधी भविष्यवाणी में सुधार की दृष्टि से सामयिक (अल्पावधि तथा दीर्घावधि) अर्थ सिस्टम साइंस आर्गेनाइजेशन (ईएसएसओ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 400 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट से राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत आमागी 5 वर्षों में सभी समयावधियों में मानसून विषयक भविष्यवाणी के लिए एक गतिशील ढांचा तैयार किया जाएगा। मानसून संबंधी अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों को मिलाकर संयुक्त रूप से अनुसंधान परियोजनाएं भी शुरू की जाएंगी। किसानों की सहायता तथा खाद्य प्रबंधन हेतु उपयुक्त तथा सामयिक नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए मानसून संबंधी भविष्यवाणियों की विश्वसनीयता में सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

फसल उत्पादन

8.7 आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धिकारी प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2009-10 इसमें शामिल नहीं क्योंकि इस दौरान देश के विभिन्न भागों में भंयकर सूखे का प्रकोप हुआ और खाद्यान्न उत्पादन मात्र 218.1 मिलियन टन तक सीमित रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन सर्वकालीन उच्च अर्थात् 259.32 मिलियन टन पहुंच गया। तथापि, दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी तथा परिणामी एकड़ हानि के कारण 2012-13 में खरीफ उत्पादन (सारणी 8.3) पर विपरीत प्रभाव पड़ने का अनुमान है। 2012-13 में खरीफ फसल के दौरान खाद्यान्न हेतु कवर 665.0 लाख हे. का समग्र क्षेत्र 2011-12 (चौथे एई) के दौरान केवल 720.86 लाख हेक्टे. क्षेत्र की तुलना में 55.8 हे. कम है। सभी प्रमुख फसलों के उत्पादन में कमी का अनुमान है

कृषि का क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज

8.8 खेती क्षेत्र में विस्तार की सीमाएं हैं। बहुविधि फसल, उपज स्तर में सुधार तथा कतिपय फसलों के क्षेत्र में परिवर्तन दीर्घावधि में उत्पादन में वृद्धि की कुंजी है। विगत तीन दशकों में क्षेत्र, उत्पादन तथा प्रमुख कृषि फसलों की उपज की दृष्टि से अखिल

सारणी 8.2 : मानसून निष्पादन : 2003-2012 (जून-सितम्बर)

वर्ष	मौसमी उपमण्डलों की संख्या			सामान्य/ अत्यधिक वर्षा वाले जिलों का प्रतिशत	देश की औसत लम्बी अवधि की वर्षा का प्रतिशत
	सामान्य	अत्यधिक	कम/बहुत कम		
2003	23	8	5	76	102
2004	23	0	13	56	87
2005	24	8	4	72	99
2006	21	6	9	60	100
2007	18	13	5	72	106
2008	31	2	3	76	98
2009	11	3	22	42	78
2010	17	14	5	70	102
2011	26	7	3	76	101
2012	22	1	13	58	92

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

सारणी 8.3: प्रमुख फसलों का कृषि उत्पादन

फसल	मौसम	मिलियन टन/गांठों में उत्पादन						वृद्धि दर	
		2000-01	2006-07	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (एई)	सीएजीआर 2011-12/ 2006-07	2012-13/ 2011-12
चावल	खरीफ	72.8	80.2	75.9	80.7	92.8	90.7	3.0	-2.3
मोटे अनाज	खरीफ	24.9	25.6	23.8	33.4	32.5	28.5	4.9	-12.3
अनाज	खरीफ	97.6	105.8	99.7	114.1	125.2	119.2	3.4	-4.8
दालें	खरीफ	4.5	4.8	4.2	7.1	6.1	5.5	4.9	-9.8
खाद्यान्न	खरीफ	102.1	110.6	104	121.2	131.3	124.7	3.5	-5.0
तिलहन	खरीफ	11.94	14.01	15.73	21.92	20.7	19.5	8.1	-5.8
कपास	खरीफ	9.52	22.63	24.02	33.0	35.2	33.8	9.2	-4.0
जूट	खरीफ	9.32	10.32	11.23	10.01	10.7	10.6	0.7	-0.9
गन्ना	खरीफ	295.96	355.52	292.3	342.38	361.0	334.5	0.3	-7.3
मोटे अनाज	जोड़	31.1	33.9	33.5	43.7	42.04	38.47	4.4	
अनाज	जोड़	185.7	203.1	203.4	226.5	242.23	232.57	3.6	
दालें	जोड़	11.1	14.2	14.7	18.2	17.09	17.58	3.8	
खाद्यान्न	जोड़	196.8	217.3	218.1	244.8	259.32	250.14	3.6	
तिलहन	जोड़	18.44	24.29	24.88	32.48	29.8	29.5	4.2	
कुल उत्पादन में खरीफ में उत्पादन का हिस्सा (प्रतिशत)									
कुल अनाज		52.6	52.1	49.0	50.4	51.7	51.3		
कुल दालें		40.5	33.8	28.6	39.0	35.7	31.3		
खाद्यान्न		51.9	50.9	47.7	49.5	50.6	49.9		
तिलहन		64.8	57.7	63.2	67.5	69.5	66.1		

स्रोत : : आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग
170 कि.ग्रा. प्रत्येक की गांठें/ **180 कि.ग्रा. प्रत्येक की गांठ

भारतीय कम्पाउंड एन्युअल ग्रोथ रेट (सीएपीआर) के विश्लेषण से बढ़ते उत्पादन, उपज स्तर तथा फसल विविधीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का पता चलता है। (सारणी 8.4)

8.9 समग्र रूप से 1980-90 की अवधि में उत्पादन तथा प्रमुख फसलों में 1990-2000 की अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि देखने में आई, जबकि मोटे अनाजों की उपज में

सारणी 8.4 वर्ष 1980-81 से 1989-90, 1990-91 से 1999-2000 (आधार, त्रैमासिक 1981-82-100) तथा 200.-01 से 2011-12 (आधार: त्रैमासिक 1993-04 -100) (प्रतिशत वार्षिक)

	1980-1 to 1989-90			1990-1 to 1999-2000			2000-1 to 2011-12*		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
चावल	0.41	3.62	3.19	0.68	2.02	1.34	0.00	1.78	1.78
गेहूं	0.46	3.57	3.10	1.72	3.57	1.83	1.35	2.61	1.24
मोटा अनाज	-1.34	0.40	1.62	-2.12	-0.02	1.82	-0.81	3.01	3.85
कुल दालें	-0.09	1.52	1.61	-0.60	0.59	0.93	1.60	3.69	2.06
गन्ना	1.44	2.70	1.24	-0.07	2.73	1.05	1.38	2.07	0.68
कुल तिलहन	1.51	5.20	2.43	0.86	1.63	1.15	2.12	3.36	1.22
कपास	-1.25	2.80	4.10	2.71	2.29	-0.41	3.22	13.53	9.99

स्रोत: कृषि सहकारिता
*चौथे एई के अनुसार

नाममात्र की वृद्धि हुई तथा गेहूं और गन्ना का उत्पादन भी समान स्तर पर रहा। इसके अलावा 1980-1990 की तुलना में 1990-2000 की अवधि के दौरान इन प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र के मामले में अपेक्षाकृत कम वृद्धि (मोटे अनाज, दालें, गन्ना) तथा अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि (चावल, तिलहन) देखने में आई। इसमें गेहूं तथा कपास शामिल नहीं हैं, जहां वृद्धि दर क्रमशः 1.72 प्रतिशत तथा 2.71 प्रतिशत थी। कुल मिलाकर 1980-90 की अवधि में प्राप्त वृद्धि को 1990-2000 में बरकरार नहीं रखा जा सका। मोटे अनाजों में बढ़ी हुई वृद्धि क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि को आफसेट करने में समर्थ थी। सभी 3 उप अवधियों में गेहूं तथा चावल में क्षेत्र तथा उपज में वृद्धि देखने में आई। यद्यपि उपज के स्तरों में वृद्धि दर बाद की अवधियों में पर्याप्त संतुलित

बाक्स 8.1 : भारत में चीनी क्षेत्र सुधार

- भारत चीनी का विशाल उपभोक्ता तथा ब्राजील के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन कर्ता है। चीनी तथा गन्ना को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक उपभोक्ता वस्तु के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तथापि भारतीय चीनी क्षेत्र नीतिगत अनियमितता तथा पूर्वानुमान के अभाव का शिकार है। भारत में चीनी उद्योग कीमत संबंधी हस्तक्षेपों के कारण अति विनियमित तथा अति जटिल है। चीनी उद्योग का विनियमन काफी समय से बहस का विषय रहा है। पूर्णतया आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो बाजार शक्तियों की बढ़ी हुई भूमिका से बेहतर कीमतों के साथ-साथ हितधारकों के हित को भी साधा जा सकता है। सरकार को केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही सामने आना चाहिए। कीमतों को स्थिर करने के लिए निर्यात पर रोक तथा नियंत्रण की स्थिति को परिवर्तनीय विदेशी टैरिफ के जरिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- **भारत में चीनी क्षेत्र का विनियमन:** भावी उपाय' विषयक एक रिपोर्ट डॉ॰ सीं॰ रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में समिति द्वारा प्रस्तुत की गई है। भावी उपाय में शामिल है: क) गन्ना आरक्षण क्षेत्र को व्यवस्थित करना); ख) न्यूनतम देरी मानदण्ड को समाप्त करना; ग) लेवी चीनी प्रणाली को समाप्त करना: ऐसे राज्य जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत चीनी उपलब्ध कराना चाहते हैं वे अपनी जरूरत के अनुसार बाजार से चीनी खरीदें, उसे जारी करने की कीमत निर्धारित करें और अपने निजी बजट से सब्सिडी प्रदान करें। वर्तमान में लेवी के कारण प्रच्छन्न क्रास सब्सिडी की व्यवस्था है चूंकि चीनी मिलें संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इस संक्रमण अवधि के लिए केंद्र सरकार इस मद पर व्यय होने वाली लागत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कुछ स्तर तक मदद कर सकती है; घ) नियमित चीनी तंत्र (आफ नॉन लेवी) को समाप्त करना; ङ) स्थिर व्यापार नीति; सीरा और एथनाल जैसे उप उत्पादों पर मात्रात्मक अथवा संचलन जैसे प्रतिबंध हटाना और जूट पैकिंग के अनिवार्यता को समाप्त करना। इसके अलावा राजकोषीय तटस्थता के तरीके से स्थिर, अनुमान योग्य और लगातार नीतिगत सुधार करना और चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वयन पर विचार करना।

बॉक्स 8.2: खाद्य तेल किफायत

- भारत विश्व में खाद्य तेल के बड़े उत्पादन-कर्त्ताओं में से एक है, फिर भी पचास प्रतिशत घरेलू जरूरत को आयात से पूरा किया जाता है। जिसमें से क्रूड पाम आयल (सीपीओ) तथा आरबीडी पामोलीन लगभग 77% प्रतिशत बैठता है और सोयाबीन तेल 12% प्रतिशत बैठता है। 1992-3 के दौरान आयात निर्भरता लगभग 3% प्रतिशत थी। तिलहन का उत्पादन हाल के वर्षों में यद्यपि बढ़ा है। (2000-1 में 184.40 लाख टन से 2011-12 में 297.99 लाख टन) तो भी यह भारत में खाद्य तेल की मांग के अनुरूप नहीं रहा है। आयात से खाद्य तेल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने में मदद मिली है और 1992-3 में 5.8 किलोग्राम से बढ़कर 2010-11 में यह 14.5 किलोग्राम हो गयी है।
- भावी घरेलू उत्पादन के संवर्धन के लिए एक जरिया आयात शुल्क ढांचे में अंशशोधन करना है। खाद्य तेलों का अधिक आयात मुख्यतया अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के प्रतिस्पर्धी मूल्यों और आयात शुल्क ढांचा जो तीव्रतापूर्वक समय के साथ-साथ उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु घटकर शून्य स्तर तक आ गया है। भारत का बाजार हिस्सा ऐसा है जिसकी वजह से यह कुछ स्वतंत्र टैरिफ नीति निर्धारित कर सकता है जिससे दोनों लक्ष्य बेहतर ढंग से पूरे किए जा सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए यह समय खाद्य तेलों के लिए मूल्य बैंड इस तरीके से निर्धारित करने की आवश्यकता है जो घरेलू किसानों, संसाधकों और उपभोक्ताओं के हितों से उचित दर पर आयात शुल्क अधिरोपित करने के जरिए मेल खाता हो। आयातशुल्क से राजस्व भी उत्पन्न होगा जिसका उपयोग तिलहन और विकास कार्यक्रम के लिए भी किया जा सकेगा। हाल ही में सभी खाद्य तेलों का टैरिफ मूल्य जो 2009 से अपरिवर्तित रहा था, को बाजार स्तर तक अद्यतन किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की मौजूदा कीमतों के टैरिफ संरक्षण के लिए सही कदम है। टैरिफ मूल्य को स्थिर करने से आयात घरेलू तेल शोधन कार्य से अधिक आकर्षक बन गया। समय के साथ, घरेलू ऑयल पाम उत्पादन से भी फायदा मिल सकता है।
- भारत के पास उच्च मूल्य प्रीमियम फसलों के साथ-साथ विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में उगाई जाने वाली तिलहन फसलों की एक बड़ी श्रृंखला भी है। हाल ही में 5 कि.ग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैकों में खाद्य तेलों की किसी भी मात्रात्मक सीमा में 1500 अमरीकी डॉलर प्रति टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ अनुमति दी गई है जिससे कि उच्च मूल्य प्रीमियम खाद्य तेलों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। किसानों ने मूल्यों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाई। इस नीति का लक्ष्य उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को निरंतर बढ़ाना है।

हो गई। 2000-2012 के दौरान कपास (काटन), दालों तथा मोटे अनाजों के उपज स्तर में पर्याप्त सुधार हुआ। कपास तथा दालें 'स्टार' परफार्मर हो गए, बीटी काटन तथा दालों में गहन कार्यक्रम इसका महत्वपूर्ण कारण रहे; तिलहन तथा मूंगफली भी गन्ने की तरह बेहतर कीमतों की दृष्टि से ठीक हैं। (बाक्स 8.1) तथा 8.2)

कृषि निविष्टियां

8.10 उपज में सुधार जो दीर्घावधि वृद्धि का मुख्य कारक है, प्रौद्योगिकी, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग, उर्वरकों, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और सिंचाई के उपयोग सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से प्रत्येक की उपज स्तर निर्धारण और उत्पादन स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

बीज

8.11 कृषि फसलों के लिए बीज महत्वपूर्ण निविष्ट होते हैं। किसान आमतौर पर बचाए हुए बीज पर भरोसा करते हैं जिससे कम बीज प्रतिस्थापन दर और कम उपज होती है। नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने और किसानों तथा पौध प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु एक भारतीय बीज कार्यक्रम लागू किया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, बीज सहकारी समितियों और निजी क्षेत्रों की भागीदारी है। किसानों को सस्ती कीमत पर विभिन्न फसलों की गुणवत्ता बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुणवत्ता बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए एक मध्य क्षेत्र की योजना का 2005-06 से कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस पहल के परिणामस्वरूप प्रमाणित गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता 2005-06 के 140.5 लाख क्विंटल से बढ़कर 2012-13 में 328.6 लाख क्विंटल हो गई है; 426 बीज प्रसंस्करण संयंत्रों को मंजूरी दी गई है तथा 85.89 लाख क्विंटल बीज प्रसंस्करण क्षमता और 30.30 लाख क्विंटल भंडारण क्षमता के सृजन हेतु छोटे उद्यमियों को 37.24 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है तथा 2011-12 के दौरान (31.10.2012) तक सार्वजनिक क्षेत्र में 4.7 लाख क्विंटल की बीज प्रसंस्करण क्षमता और 2.4 लाख क्विंटल की बीज भंडारण क्षमता का सृजन कर लिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय/दूरदराज क्षेत्रों के किसानों को सस्ती कीमत और समय पर बीजों की उपलब्धता के लिए बीजों के परिवहन पर परिवहन सब्सिडी योजना चलाई जा रही है जिसके तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.7 लाख क्विंटल बीज के परिवहन हेतु विभिन्न कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों को 12.6 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की प्रतिपूर्ति की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 2088 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन के तहत बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन विचाराधीन है।

मशीनीकरण और प्रौद्योगिकी

8.12 ट्रैक्टर विभिन्न कृषि कार्यों के लिए शक्ति का मुख्य स्रोत रहे हैं और सालाना 5 लाख से अधिक ट्रैक्टर उत्पादन के साथ भारत ट्रैक्टर उत्पादन में विश्व में अग्रणी है। अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि कार्यों के उपयुक्त मशीनीकरण अपनाने से उत्पादन और कृषि उत्पादकता 10-15 प्रतिशत, फसल तीव्रता 5-20 प्रतिशत और बीज में प्रभावी बचत (15-20 प्रतिशत तक), उर्वरक और रसायन (15 से 20 प्रतिशत तक) तथा समय और श्रम (20-30 प्रतिशत तक) बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में कृषि मशीनीकरण में प्रगति के लिए कृषि शक्ति की कम और अनियमित उपलब्धता और कम होता हुआ जोत का आकार रुकावट है। देश के कृषि क्षेत्रों के लिए खेत की औसत बिजली उपलब्धता 1975-76 के 0.48 कि.वा./हेक्टेयर से वर्तमान में बढ़कर 1.73 कि.वा./हेक्टेयर हो गया है और 2015 तक बढ़कर 2.0 कि.वा./हेक्टेयर हो जाने की संभावना है। जोत का आकार कम होने के साथ-साथ अधिकांश किसानों के छोटे और सीमांत होने से कृषि मशीनरी का व्यक्तिगत स्वामित्व प्रगामी रूप से गैर-आर्थिक होता जा रहा है। इसके लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्रों/हाइटेक मशीनरी बैंकों की स्थापना हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि छोटे और सीमांत किसान कृषि मशीनीकरण का लाभ ले सकें। सरकार ने कृषि मशीनीकरण कस्टम हाइरिंग पर ध्यान देने के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन शुरू किया है।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन

8.13 भारत स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से अपने यूरिया की 80 प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति करता है परन्तु पोटैसिक (के) और फॉस्फेटिक (पी) उर्वरक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर करता है। पोषक दृष्टि से उर्वरकों की खपत में सुधार देखा गया है, जो यह दर्शाता है कि देश में सस्ती कीमतों पर उर्वरकों की बढ़ती उपलब्धता और खपत सफल रही हैं (सारणी 8.5)। हालांकि, नाइट्रोजनी उर्वरक का अधिक उपयोग और पी तथा के उर्वरकों का सीमित उपयोग अधिक चिंता का विषय है और उर्वरक सब्सिडी को घटाकर उचित मूल्य प्रोत्साहन की आवश्यकता है जिससे कि स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

उर्वरक नीति पहल

8.14 सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नई निवेश नीति 2012 (एनआईपी 2012) को अधिसूचित किया है जिससे आयात क्षमता मूल्य (आईपीपी) से कम मूल्य पर आयात प्रतिस्थापन के कारण स्वदेशी क्षमता में बढ़ोत्तरी आयात पर निर्भरता में कमी और सब्सिडियों में बचत होगी। ऐसी प्रत्याशा है कि ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के विस्तार, पुनरुद्धार और स्थापना के लिए नया निवेश किया जाएगा। विस्तार और ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड

सारणी 8.5 : उर्वरक उत्पादन एवं खपत (लाख टन में)

	2007-8	2008-9	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
यूरिया, डीएपी तथा मिश्र उर्वरक का उत्पादन						
यूरिया	198.60	199.20	211.12	218.80	219.84	223.87
डीएपी	42.12	29.93	42.46	35.37	39.63	37.10
मिश्र उर्वरक	58.50	68.48	80.38	87.27	77.70	79.47
पोषाहार संदर्भ में उर्वरक खपत						
नाइट्रोजन (एन)	144.19	150.90	155.80	165.58	173.00	
फास्फेटिक (पी)	55.15	65.06	72.74	80.50	79.14	
पोटैसिकर (के)	26.36	33.13	36.32	35.14	25.25	
कुल (एन +पी +के)	225.70	249.09	264.86	281.22	277.39	
प्रति हे. खपत	116.50	127.20	135.76	144.14	141.30	

स्रोत : उर्वरक विभाग

*अनुमानित

परियोजनाओं के लिए आवश्यक गैस की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनआईपी-2012 में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी अथवा आईपीपी में गिरावट की स्थिति में नीति ने निवेशकों के हित की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। किसानों को चरणबद्ध तरीके से सीधे नकद अंतरण लागू करने का निर्णय लिया गया है जिससे छोटे, सीमांत और अल्प किसानों को लक्ष्य करने में सहायता मिलेगी और सब्सिडी संवितरण में अधिक पारदर्शिता आएगी। इसके संचालन हेतु 10 राज्यों के ग्यारह जिलों की पहचान कर ली गई है।

8.15 फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पीएंडके) उर्वरकों हेतु पोषक तत्व आधारित (एनबीएस) 2010 में लागू सब्सिडी योजना के तहत सब्सिडी की एक नियत राशि सालाना आधार पर पी और के उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड को पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर प्रदान की जाती है। द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत विनिर्माताओं/विपणकों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तय करने की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में (नवम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार) किसान पी और के उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत का मात्र 58 से 73 प्रतिशत भुगतान करते हैं; शेष का वहन भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में किया जाता है। हालांकि, सरकार उर्वरक सब्सिडी के रूप में एक बड़े भार का सामना कर रही है (चित्र 8.2)

चित्र 8.2: संवितरित उर्वरक सब्सिडी

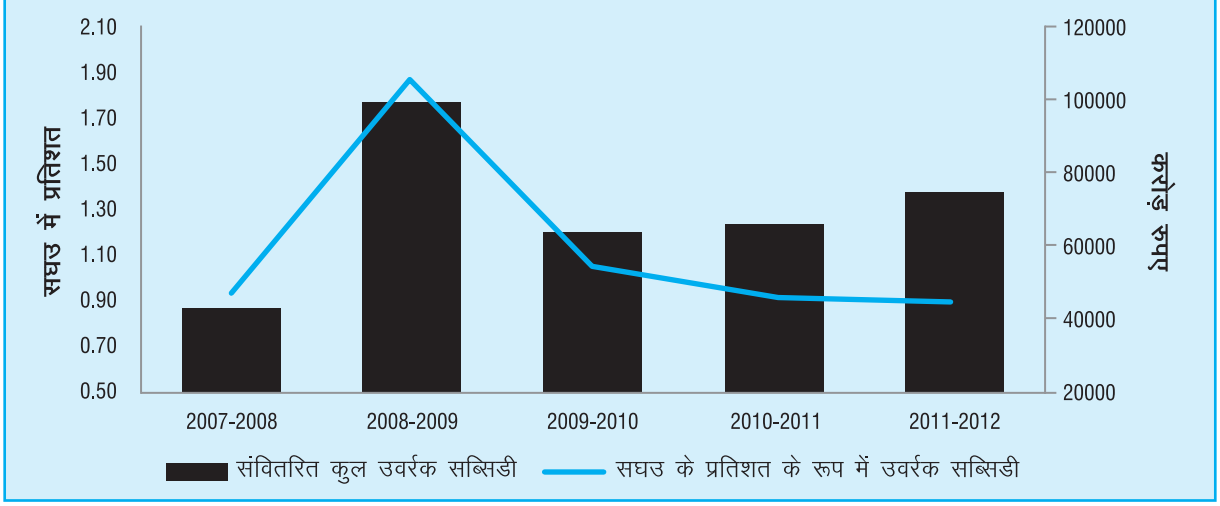

सिंचाई

8.16 भारत ने सिंचाई की अवसरंचना के विकास में पर्याप्त प्रगति की है। तथापि, सिंचाई की दक्षता सतही जल और भूजल दोनों मामलों में कम है। वर्षासिंचित किसान की उत्पादकता और लाभोत्पादकता में सुधार की सहायता के उद्देश्य से स्थान-विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के समूह सहित प्रभावी वर्षाजल प्रबंधन पर विशेष दबाव के साथ विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए मूल स्थान पर ही मृदा और जल संरक्षण प्रणालियों का विकास किया गया है। प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त सिंचाई की संभावना सृजित की गई है। केन्द्र सरकार ने अपूर्ण सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) आरंभ किया। एआईबीपी के तहत 55416 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता/अनुदान 31 दिसम्बर, 2012 तक जारी की गई है। मार्च 2011 तक एआईबीपी के तहत राज्यों द्वारा प्रमुख/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं से 7622.5 हजार हेक्टेयर की सिंचाई संभावना का सृजन किया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को एआईबीपी के साथ भी समायोजित किया गया है जिससे कि ऐसी सिंचाई संभावना जो सृजित हुई है और जिनका उपयोग किया गया है, के बीच के अंतर को कम किया जा सके।

कृषि अनुसंधान और शिक्षण

8.17 कृषि अनुसंधान ने कृषि परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थान आधारभूत, सामरिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कराते हैं और उनका मुख्य ध्यान विशेषकर वर्षासिंचित कृषि की समस्याओं पर होता है जबकि राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) आवश्यक जनशक्ति का सृजन तथा स्थानीय समस्याओं के अनुप्रयुक्त और अनुकूल अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। पिछले दशक में भारत में कृषि स.घ.उ. में सार्वजनिक क्षेत्र कृषि अनुसंधान एवं विकास के तहत व्यय 0.50 से 0.59 के रेंज में रहा जिसे पर्याप्त रूप से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। एएसयू की भागीदारी में आईसीएआर ने कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है जिनका किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें 2011-12 के दौरान 9838 टन प्रजनक बीज, 13,228 टन आधार बीज, 20,541टन प्रमाणित बीज, 14,860 टन सही प्रकार से लगाए गए लेबल वाले बीज, कृषि फसलों के लगभग 40,000 टिश्यू कल्चर प्लांटलेट्स और गन्ने की तीन नई विकसित किस्में शामिल हैं।

कृषि उत्पादन हेतु मूल्य नीति

8.18 कृषि उत्पादन की सरकार मूल्य नीति उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध करवा कर ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। मूल्य नीति अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना भी चाहती है। इसे पूरा करने के लिए, सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता और राज्य सरकारों से निर्दिष्ट अन्य एजेन्सियों के माध्यम से खरीद प्रचालन का संचालन करती है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ ऐसे अन्य सम्बद्धकारक जिन्हें समर्थन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना जाता है, के दृष्टिकोणों के मद्देनजर विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्णय करती है।

8.19 एमएसपी की घोषणा बुवाई के मौसम के काफी पहले कर दी जाती है जिससे कि किसान फसल कार्य के संबंध में सुविज्ञ निर्णय ले सकें। संबद्ध कारकों विशेषकर किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कि ये लाभकारी है 2012-13 मौसम की खरीफ फसलों और 2012-13 मौसम की रबी फसलों जिनका 2013-14 में विपणन किया जाना है, के लिए सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया। कई फसलों में कीमत की बड़ी बढ़ोत्तरी ध्यान देने योग्य विशेषता है (सारणी 8.6) विशेषकर उस समय जब वैश्विक खाद्य कीमतों में भी बढ़ने वाली प्रवृत्ति हो (चित्र 8.3 और 8.4)। इससे सरकार पर काफी अधिक राजकोषीय दबाव पड़ता है जिसकी विस्तृत चर्चा आगे इस अध्याय के खाद्य प्रबंधन भाग में की गई है।

8.20 इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) ऑपरेशन शुरू करने के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों को नामित किया है। पीएसएस ऑपरेशन करने हेतु केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा वहन की जाने वाली हानियों, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। सरकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर बागवानी और कृषि जिसमें जो सामान्यत: नष्ट होने योग्य प्रकृति की हों तब पीएसएस के तहत कवर न होती हों, के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का भी कार्यान्वयन करती है। इसके कार्यान्वयन पर यदि कोई हानि हो, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हानि के 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) का वहन करते हैं। एमआईएस के कार्यान्वयन में यदि कोई लाभ हो तो अधिप्राप्ति करने वाली एजेंसियों द्वारा एमआईएस को बनाए रखा जाता है। 2011-12 में नेफेड द्वारा राजस्थान में चना और उड़द तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलिंग कोपरा के कुछ अधिप्राप्ति ऑपरेशन किए गए तथा कर्नाटक में सुपारी, प्याज और हल्दी; हिमाचल प्रदेश में सेब; उत्तर प्रदेश में आलू के संबंध में एमआईएस कार्यान्वित की गई।

सारणी 8.6 : न्यूनतम समर्थन मूल्य

(₹ प्रति क्विंटल)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2012-13 तथा 2011-12 कीमतों के बीच का अंतर
खरीफ फसलें					
चावल (सामान्य)	1000	1000	1080	1250	170
चावल (ग्रेड ए)	1030	1030	1110	1280	170
ज्वार (संकर)	840	880	980	1500	520
ज्वार (मालिन्दी)	860	900	1000	1520	520
बाजरा	840	880	980	1175	195
मक्का	840	880	980	1175	195
रागी	915	965	1050	1500	450
अरहर (तूर)	2300	3500	3700	3850	150
मूंग	2760	3670	4000	4400	400
उड़द छिलका सहित	2520	3400	3800	4300	500
मूंगफली	2100	2300	2700	3700	1000
सूर्यमुखी	2215	2350	2800	3700	900
सोयावीन (काला)	1350	1400	1650	2200	550
सोयाबील (पीला)	1390	1440	1690	2240	550
तिल	2850	2900	3400	4200	800
कपास	2405	2450	2900	3500	600
रबी फसल					
गेहूं	1100	1170	1285	1350	65
जौ	750	780	980	980	0
चना	1760	2100	2800	3000	200
मसूर (लेंटिल)	1870	2250	2800	2900	100
रेपसीड/सरसों	1830	1850	2500	3000	500
कुसुम्भ	1680	1800	2500	2800	300

स्रोत : कृषि तथा सहकारिता विभाग

टिप्पणी:

चित्र 8.3: कुछ महत्वपूर्ण कृषि फसलों की वैश्विक कीमतों में प्रवृत्ति

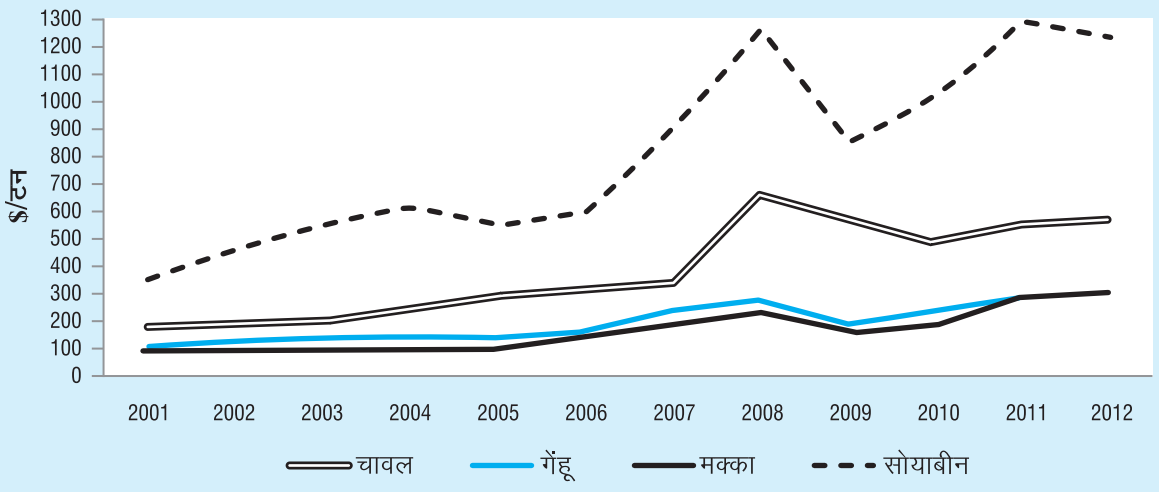

चित्र 8.4: कुछ महत्वपूर्ण कृषि फसलों के एमएसपी में प्रवृत्तियां

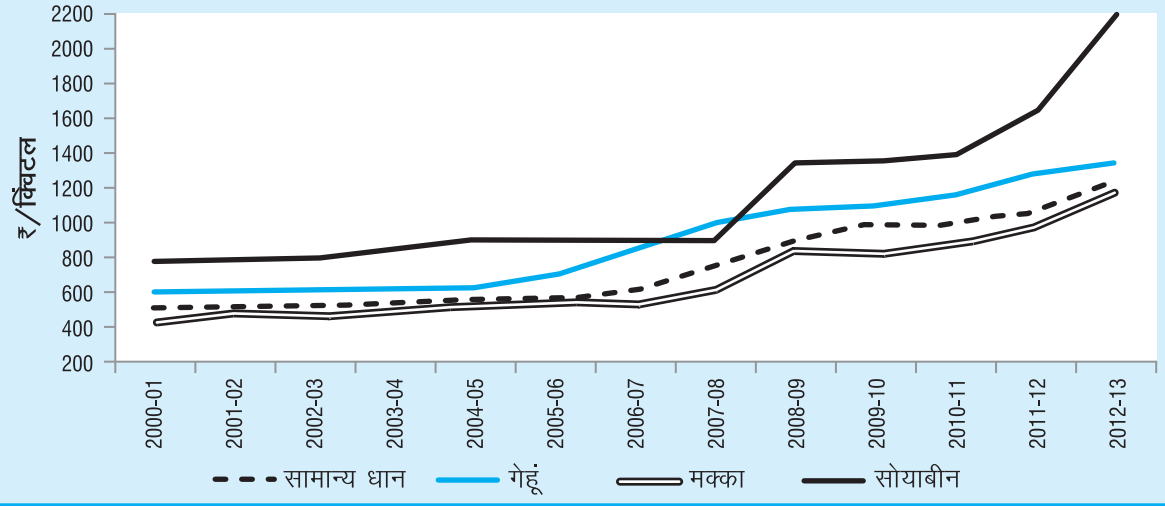

कृषि क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

8.21 कृषि राज्य का विषय होने के नाते कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी और क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता की खोज का प्रारंभिक उत्तरदायित्व राज्य का होता है। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों की पूर्ति केन्द्र द्वारा प्रयोजित और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के जरिए करती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

8.22 ग्यारहवीं योजना के अंत तक क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता संबर्धन; मृदा उर्वरता और उत्पादकता की पुनर्बहाली; रोजगार अवसर सृजित कर; क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन चावल, गेहूं और दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा लक्षित जिलों के किसानों का विश्वास वापस लाने के लिए कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु 2007-08 में तीन प्रमुख संघटकों नामत: एनएफएसएम- चावल, एनएफएसएम- गेहूं और एनएफएसएम- दलहन के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की शुरुआत की गई। ग्यारहवीं पंचवषीय योजना के दौरान 16 राज्यों के 144 जिलों में एनएफएसएम- चावल, 9 राज्यों के 142 जिलों में एनएफएसएम- गेहूं और 16 राज्यों के 468 जिलों में एनएफएसएम-दलहन का कार्यान्वयन किया गया है। 2012-13 में छ: पूर्वोत्तर राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम को एनएफएसएम- चावल के तहत और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों को एनएफएसएम के- चावल और गेहूं के तहत तथा जम्मू एवं कश्मीर एनएफएसएम- गेहूं के तहत शामिल किया गया। विशिष्ट रूप से 2012-13 के दौरान खरीफ 2012 के दौरान 19+ मिलियन टन दलहन उत्पादन हासिल करने हेतु एक विशेष योजना 153.5 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ शुरू की गई जिसमें एनएफएसएम के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए 107.3 करोड़ रुपए तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किए जाने वाले कार्यकलापों के लिए 46.2 करोड़ रुपए शामिल किए गए। 2012-13 में रबी/ग्रीष्मकाल के दौरान दलहन के अतिरिक्त क्षेत्र कवरेज के लिए 87.0 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

8.23 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की शुरुआत 2007-08 में ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरकेवीवाई के तहत राज्यों को 22,408.79 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। आरकेवीवाई का प्रारूप राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को उप-योजना के रूप में ग्रहण करने की अनुमति देता है तथा साथ ही राज्यों को परियोजना चयन और कार्यान्वयन में लोचनीयता भी प्रदान करता है। आरकेवीवाई के तहत 2012-13 का आवंटन 9217 करोड़ रुपए है। आरकेवीवाई के तहत केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत हिस्सा उन राज्यों से संबंधित है जिन्होंने कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर राज्य आयोजना व्यय की प्रतिशतता बढ़ाई है। ग्यारहवीं योजना में राज्यों द्वारा कुल 5768 परियोजनाएं आरंभ की गई जिसमें से दिसम्बर 2012 के अंत तक 3343 योजनाएं पूरी हो गई थीं।

सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन

8.24 जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादन और उत्पादकता के लिए एक प्रमुख चुनौती है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

के तत्वाधान में सतत् कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन की योजना जलवायु-परिवर्तन से संबद्ध जोखिमों के संदर्भ में 'सतत् कृषि' संबंधी मुद्दों का समाधान करने की है। ऐसी आशा है कि इस मिशन के उद्देश्य उचित अनुकूलन और अपशमन कार्यनीतियों के द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, आजीविका अवसरों में बढ़ोत्तरी और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता में योगदान हेतु पूरे होंगे। एनएमएसए को जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री परिषद् द्वारा ''सिद्धांतत:'' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अपशमन कार्यनीतियों को मौजूदा कार्यक्रमों के पुनर्गठन द्वारा परिचालित किया जाएगा।

पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना

8.25 2010-11 में आरंभ की गई पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने की प्रक्रिया का आशय पूर्वी भारत जिसके अंतर्गत सात राज्य नामत: असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओड़िशा, पूर्व उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आते हैं, में चावल आधारित फसल प्रणाली की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं का समाधान करना है। 2010-11 और 2011-12 के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 400 करोड़ रुपए और 2012-13 के दौरान 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम

8.26 भारत में वर्षा सिंचित कृषि के महत्व को देखते हुए आरकेवीवाई के तहत सरकार द्वारा प्रयोगिक योजना के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) शुरू किया गया, जिसमें लघु और सीमान्त किसानों और कृषि प्रणाली पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वर्षा सिंचित क्षेत्रों में किसानों की आय के संवर्धन के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिसके अंतर्गत एकीकृत कृषि कार्य, खेत पर जल प्रबंधन, भंडारण विपणन और कृषि उपज में मूल्य संवर्धन को कवर किया गया है। 2012-13 के दौरान आरएडीपी को 22 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। और एनएमएसए के तहत इसे बारहवीं योजना के दौरान कार्यक्रम संघटक के रूप में मूलत: संपन्न किया जाएगा।

कृषि वृहद प्रबंधन

8.27 2008 में संशोधित कृषि वृहद प्रबंधन योजना में सूत्र आधारित आवंटन मानदंड है और इनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु 5500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से 4625.24 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग किया गया/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया गया। 2012-13 के लिए अनुमोदित 900 करोड़ रु॰ के परिव्यय में से 680.51 करोड़ रु॰ अब तक जारी किए जा चुके हैं।

तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना

8.28 तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना (इसोपॉम) फसल विविधीकरण के संवर्धन हेतु क्षेत्रवार विभेदीकृत दृष्टिकोण के आधार पर राज्यों को लोचनीयता प्रदान करती है। इस योजना के तहत प्रजनक बीज की खरीद, आधार बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन और वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, संयंत्र संरक्षण रसायनों, संयंत्र संरक्षण उपस्करों और खर-पतवारनाशी दवाओं का वितरण, राइजोबियन कल्चर/फॉस्फेट को घोलने वाले जीवाणु की आपूर्ति, विकसित कृषि उपस्करों की आपूर्ति, जिप्सम/पाइराइट/लाइमिंग/डोलोमाइटका वितरण, स्प्रिंकल ईंटों और पानी के पाइपों का वितरण तथा तिलहन और मक्का उगाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार में सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

8.29 राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) में 11वीं योजना के दौरान 18 राज्यों एवं तीन संघशासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। योजना का उद्देश्य सभी पणधारियों की सक्रिय भागीदारी से क्लस्टर एप्रोच अपनाकर अग्रिम एवं पश्च लिंकेज सुनिश्चित कर बागवानी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है। 11वीं योजना के दौरान बागवानी/उच्च मूल्य बागवानी फसलों के तहत 16.7 लाख हेक्टेयर भूमि लाई गई।

8.30 कटाई उपरांत हानि में कमी लाकर व मूल्य वृद्धि सृजित कर और एवं कोल्ड चेन सिस्टम के जरिये उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाप्रदायी तंत्र के द्वारा एक राष्ट्रीय कोल्ड चेन विकास केंद्र, एनसीडीडी स्थापित किया गया है। एनसीडीडी के स्थापना से क्षमता में वृद्धि को आवश्यक बढ़ावा देना एवं देश में कोल्ड चेन नेटवर्क सृजित करने की आशा है। वर्षों के दौरान, बागवानी उत्पाद की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है। (सारणी 8.7)

कृषि ऋण

8.31 उचित दर पर कृषि ऋण की समय पर उपलब्धता, विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों को, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार ने कृषि ऋण के प्रवाह में सुधार करने के लिए कुछ उपाय किए हैं:

i) 2003-04 से कृषि ऋण का प्रवाह लगातार लक्ष्य से अधिक रहा है। 2012-13 के लिए कृषि ऋण का प्रवाह 5,75,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया था जिसमें से सितंबर, 2012 को 2,39,629 करोड़ रुपए हासिल कर लिए गए थे।

तालिका 8.7 : फलों व सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता एवं उत्पादन

	प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/प्रतिव्यक्ति/प्रतिदिन)			फलों व सब्जियों का उत्पादन (मिलियन टन)		
	फल	सब्जियां	कुल	फल	सब्जियां	कुल
2001-02	114	236	350	43	89	132
2007-08	158	309	467	66	128	194
2008-09	163	306	469	68	129	197
2009-10	167	313	480	71	134	205
2010-11	170	332	502	75	147	222
2011-12	172	350	522	76	156	232

स्रोत : कृषि तथा सहकारिता विभाग

ii) किसानों को 2006-07 से 7% ब्याज दर से 3 लाख रुपए की मूल राशि के फसल ऋण प्राप्त हुए हैं। ऐसे किसान, जिन्होंने 2012-13 के दौरान अपने फसल ऋण का तत्काल भुगतान किया है, के लिए ब्याज की प्रभावित दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

iii) कृषि ऋण प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रभावी है। मार्च 2012 में केसीसी योजना लागू की गई थी जिसमें सभी पात्र एवं इच्छुक किसानों को केसीसी पास बुक के बदले समयबद्ध तरीके से एटीएम-सह-क्रेडिट कार्ड दिये गये। 31 अगस्त 2012 को सहकारी एवं प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी चालू केसीसी की संख्या 4.07 करोड़ थी। 31 मार्च, 2012 को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी संचयी केसीसी की संख्या 5.47 करोड़ थी।

iv) किसानों को वाणिज्यिक दरों पर विक्रेय वेयरहाऊस प्राप्तियों से कटाई-उपरांत ऋण प्रदान किए गए। किसानों द्वारा कष्टप्रद बिक्री को हतोत्साहित एवं वेयरहाऊस प्राप्तियों से उन्हें वेयरहाऊस में अपने उत्पादों के संग्रहण को प्रोत्साहन देने हेतु केसीसी धारक छोटे एवं सीमांत किसानों को ब्याज सहायता का लाभ फसल ऋण के रूप में उसी दर से कटाई उपरांत अगले 6 माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

v) भारत सरकार 13,596 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय की अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी क्रेडिट संरचना हेतु पुन: बहाली पैकेज लागू कर रही है। भारत सरकार एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ 25 राज्यों ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार, 17 राज्यों में 53,202 प्राथमिक कृषि सहकारी सोसायटिज (पीएसीएस) के पुन: पूंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के तौर पर नाबार्ड द्वारा 9002.11 करोड़ जारी किए गए थे।

प्रमुख फसल बीमा योजनाएं

8.32 भारतीय कृषि मौसम में परिवर्तन, और प्राकृतिक आपदा से लेकर उपज के मूल्यों में अनिश्चितता के कई जोखिम कारकों का सामना करती है। अत: जोखिम प्रबंधन व जोखिम न्यूनीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। सरकार बहुत सी फसल बीमा योजनाएं चलाती हैं।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

8.33 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमि. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाएं (एनआईएस) लागू करती है। वर्तमान में, यह योजना 24 राज्यों व 2 संघशासित प्रदेशों में लागू है। शुरुआत से, लगभग 7580 करोड़ की प्रीमियम आय में से लगभग 24,246 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है जिससे लगभग 511 किसानों को फायदा पहुंचा है।

संशोधित एनएआईएस

8.34 फसल बीमा योजनाओं में और अधिक सुधार के उद्देश्य से, रबी 2010-11 मौसम से देशभर में 16 राज्यों के 50 जिलों में प्रायोगिक आधार पर संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस) लागू किया जा रहा है। एमएनएआईएस में किए गए कुछ प्रमुख सुधार हैं, विभिन्न दरों पर प्रीमियम से सब्सिडी वाल बीमांकिक प्रीमियम, दावों की पूर्व देयता बीमाकर्ता पर, प्रमुख फसलों हेतु ग्रामीण पंचायत स्तर पर बीमा के ईकाई क्षेत्र में कमी, रोकथाम/बुआई/रोपण जोखिम की क्षतिपूर्ति और चक्रवात के कारण कटाई उपरांत क्षतिपूर्ति, तत्काल राहत के तौर पर संभावित दावे के 25% का अग्रिम खाते पर भुगतान, उपज की प्रारंभिक सीमा की गणना के लिए अधिक कुशल आधार और

पर्याप्त मूलभूत ढांचे वाले निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं को अनुमति प्रदान करना। 2011-12 के दौरान लगभग 11.80 लाख किसानों को व लगभग 13.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें 3195 करोड़ रुपए की राशि का बीमा किया गया।

प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना

8.35 प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को मौसम की प्रतिकूल दशाओं के प्रति बीमित करना है। इस योजना के तहत लगभग 64,905 करोड़ बीमा राशि में खरीफ 2007-08 से रबी 2011-12 तक 370.69 लाख किसानों एवं लगभग 520.86 लाख हे. कृषि क्षेत्र का बीमा किया गया। लगभग 5791 करोड़ रुपए के प्रीमियम के संबंध में लगभग 3208 करोड़ के दावों के भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 में इन योजनाओं हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधि की यथा अनुमानित आवश्यकता 2200 करोड़ रुपए है।

कृषि विपणन

8.36 मांग आपूर्ति की उचित भूमिका हेतु सहायक बाजार वातावरण सृजित कर किसानों व उपभोक्ताओं को समुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए बाजार नियामक नेटवर्क के माध्यम से देश में कृषि उत्पादों के संगठित विपणन को प्रोत्साहित किया गया है। इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, 2003 में कृषि उत्पाद विपणन (विकास और नियमन) (एपीएमसी) अधिनियम बनाया गया था। हांलाकि मॉडल अधिनियम की तर्ज पर वर्तमान एपीएमसी अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बाजार सुधार प्रक्रिया शुरू की गई है, कई राज्यों को एक समान रूप से मॉडल अधिनियम अपनाया जाना बाकी है। अत: किसानों को लाभदायक मूल्यों पर अपनी कृषि उपज के लेन-देन हेतु वैकल्पिक प्रतिस्पर्धा विपणन चैनल मुहैया कराने के लिए बाजार सुधार की प्रक्रिया को शीध्र पूरा किया जाना आवश्यक है। देश में व्यापक एवं एकीकृत विपणन प्रणाली के विकास के लिए कृषि विपणन मूलभूत ढांचे का विकास करना सर्वप्रथम अपेक्षा है। इस प्रयोजन के लिए, कृषि मंत्रालय उद्यमियों को बैक एंडेड क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी यथा: ग्रामीण भंडारण योजना और कृषि विपणन मूलभूत ढांचे के विकास सुदृढीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण के रूप में सहायता प्रदान कर मांग-प्रेरित योजनाएं लागू कर रहा है।

एक्सटेंशन सेवाएं

8.37 2005-06 में एक्सटेंशन सुधार योजना हेतु राज्य एक्सटेंशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य तकनीक वितरण हेतु नई संस्थागत व्यवस्था मुहैया कर एक्सटेंशन प्रणाली को किसान प्रेरित एवं किसान के प्रति उत्तरदायी बनाना है। ऐसा एक्सटेंशन सुधारों को संचालित करने के लिए जिला (28 राज्यों एवं 3 संघशासित प्रदेशों में 614 ग्रामीण जिलों) में कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसियां (एटीएमए) स्थापित कर किया गया। एटीएमए में जिला एवं निचले स्तर पर संचालक किसानों/किसान समूहों, गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। लैंगिक मुद्दों को, यह अनिवार्य करते हुए कि कार्यक्रमों व गतिविधियों पर संसाधानों का 30% महिला किसान एवं महिला एक्सटेंशन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाया जाए। शुरूआत से विभिन्न एक्सटेंशन गतिविधियों के अंतर्गत 2.19 करोड़ किसानों, जिनमें से 25% महिला किसान थे, को फायदा पहुंचा। 12वीं योजना के दौरान सभी एक्सटेंशनों एवं विभाग की आईटी संबंधी योजनाओं को पुन: संरचित करना और उन्हें एक मिशन योजना नामत: राष्ट्रीय कृषि एक्सटेंशन मिशन (एनएमएई) के तहत रखने का प्रस्ताव किया गया।

पशुपालन, डेयरिंग और मत्स्यपालन

8.38 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जीव भंडार क्षेत्र ने औसतन 4.8% की वृद्धि हासिल की। 2011-12 में, 127.9 मिलियन टन दुग्ध, 66.45 बिलियन अंडे, 44.73 मिलियन कि. ग्रा. ऊन और 5.51 मिलियन टन मीट का अनुमानित उत्पादन हुआ। पशुधन जनगणना (2007) में पशुधन आबादी 529.7 मिलियन और कक्कर 648.8 मिलियन थे।

डेयरी क्षेत्रक

8.39 भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, 1990-91 में इसका उत्पादन 53.9 मिलियन टन था, जो 2011-12 में बढ़कर 127.9 मिलियन टन पहुंच गया। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 1990-91 में 176 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2011-12 में 290 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह 2011 में विश्व के साथ 289.31 ग्राम प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता के लगभग बराबर है।

8.40 इससे ग्रामीण परिवारों की आय के महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत होने के अलावा देश की बढ़ती आबादी हेतु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि का पता चलता है।

8.41 दुग्ध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु मूलभूत ढांचा सुदृढ़ करना, सहकारी संस्थाओं को सहायता और डेयरी उद्यमिता विकास योजना, भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम हैं। 2000 से नेशनल प्रोजेक्ट फोर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग लागू है। दुग्ध देनेवाले पशुओं की उत्पादकता में सुधार, दुग्ध अर्जन हेतु ग्रामीण स्तरीय मूलभूत ढांचे को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना और डेयरी क्षेत्र में उत्पादकों को बाजार में बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण I नामक नई योजना मार्च, 2012 में शुरू की गई है।

चित्र 8.5: दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

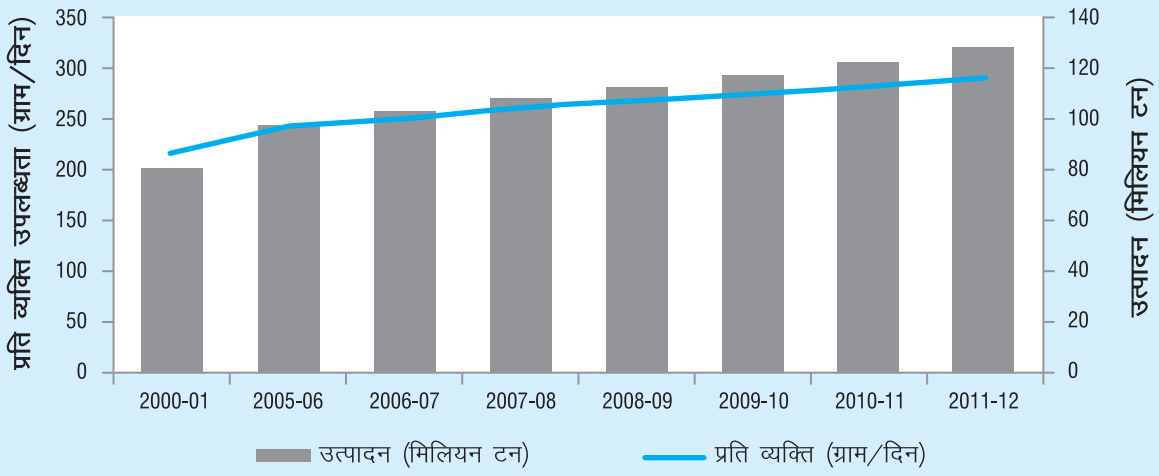

कुक्कुट पालन

8.42 कुक्कट पालन क्षेत्रक में एक ओर उच्च औद्योगिकृत एवं निर्यातोन्मुख खेती प्रणाली की रेंज है, तो दूसरी ओर पिछड़े, छोटे और सीमांत किसानों को जीविका संबंधी मुद्दों का समाधान करने की एक रेंज आती है। 2011-12 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 55 प्रतिवर्ष थी। व्यक्तियों के उद्यम कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए 1 अप्रैल, 2011 से कैपिटल सब्सिडी में एक केन्द्रीय क्षेत्र कुक्कट पालन उपक्रम पूंजी निधि लागू की जा रही है जिसमें विभिन्न कुक्कट पालन गतिविधियां आती हैं।

भोजन और चारा

8.43 दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी एवं जारी जेनेटिक सुधार कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए पशुधन हेतु भोजन एवं चारे की पर्याप्त उपलब्धता महत्वपूर्ण है। देश में हरे चारे की अनुमानित कमी लगभग 34 प्रतिशत है। केन्द्र सरकार ने चारे के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु राज्यों के प्रयास को समर्थन करने के लिए 2010 से संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं भोजन विकास योजना लागू की है। इसे अतिरिक्त चारे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2011-12 में आरकेवीवाई के घटक के रूप में त्वरित चारा विकास कार्यक्रम शुरू किया था।

चित्र 8.6: समुद्री उत्पादों का निर्यात

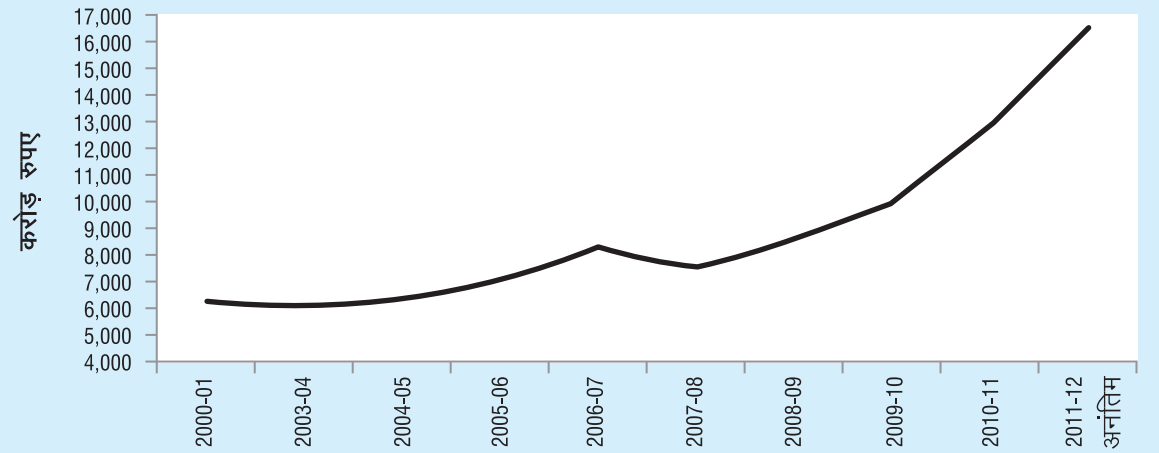

सारणी 8.8 : गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति और खरीद (मिलियन टन)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अधिप्राप्ति					
चावल	34.1	32.0	34.2	35.0	23.0 *
गेहूं	22.7	25.4	22.5	28.3	38.1
कुल	56.8	57.4	56.7	63.3	52.8
केन्द्रीय पूल से उठाना					
चावल	24.62	27.37	29.93	32.12	24.02 **
गेहूं	14.87	22.34	23.07	24.26	23.13 **
कुल	39.49	49.71	53.00	56.38	47.16**

स्रोत: खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग।

टिप्पणी: गेहूं तथा चावल के अधिप्राप्ति आंकड़े विपणन मौसमवार हैं, जबकि उठाव के आंकड़े वित्तीय वर्षवार है।

*** दि० 07.02.2013 की स्थिति अनुसार। * 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)**

मात्स्यिकी

8.44 मछली प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत के साथ ही आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। मछली के उत्पादन में, समुद्री एवं अन्तरदेशीय दोनों, 2000-01 को 5.6 मिलियन टन से बढ़कर 2011-12 में 8.7 मिलियन टन (अनंतिम) हो गया है। समुद्री उत्पादों के निर्यात में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है जैसाकि चित्र 8.6 से स्पष्ट है।

खाद्य प्रबंधन

8.45 खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, किसानों से खाद्यानों की लाभकारी मूल्यों पर खरीद, उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों में वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव। सरकार के निपटान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य दो साधन हैं। खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और भंडारण करने का केन्द्रक अभिकरण भारतीय खाद्य निगम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित अवधि के लिए है, जबकि वितरण आवंटन और लाभार्थियों की कुल खरीद के परिणाम के आधार पर संचालित किया जाता है। खाद्यान्नों की कुल खरीद मुख्यतया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत की जाती है।

खाद्यान्नों की खरीद एवं ऑफटेक

8.46 हाल के वर्षों में खाद्यान्नों के अच्छे उत्पादन एवं लाभदायक एमएसपी के कारण सरकार द्वारा किए गए विभिन्न अन्य उपायों के साथ-साथ गेहूं-चावल की खरीद में लगातार वृद्धि हुई है एव यह रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है (सारणी 8.8)। गेहूं की खरीद में पंजाब और हरियाणा के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का योगदान पिछले मौसम के मुकाबले अधिक रहा है। चावल की खरीद में, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-पारंपरिक राज्यों में गत वर्ष की मुकाबले पर्याप्त बढ़ात्तरी दिखाई है।

विकेन्द्रित खरीद योजना

8.47 कई राज्यों ने वर्ष 1997 से आरंभ विकेन्द्रित खरीद योजना के कार्यान्वयन का विकल्प चुना है जिसके तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। इस योजना के तहत नामोनिर्दिष्ट राज्य टीपीडीएस और भारत सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की खरीद, उनका भंडारण और उन्हें जारी करते हैं। राज्यों के लिए निर्धारित आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच के अंतर को राज्य सरकार को सब्सिडी के रूप में अंतरित कर दिया जाता है। खरीद की विकेन्द्रीकृत प्रणाली के उद्देश्य एमएमपी प्रचालनों के अंतर्गत अधिक किसानों को शामिल करना, जनवितरण प्रणाली की कुशलता में सुधार, स्थानीय जायके के अनुसार खाद्यान्न किस्में मुहैया कराना और परिवहन लागत में कमी लाना है।

भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

8.48 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन संघटक हैं जो इस प्रकार है, किसानों को दिए जाने वाले मूल्य के रूप में एमएसपी (और बोनस यदि लागू हो), खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण की लागत। गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमएसपी में बढ़ोतरी और आनुषंगिक व्यय में आनुपातिक वृद्धि के कारण काफी बढ़ोतरी देखी गई (चित्र 8.7)।

चित्र 8.7: चावल व गेहूं की आर्थिक लागत

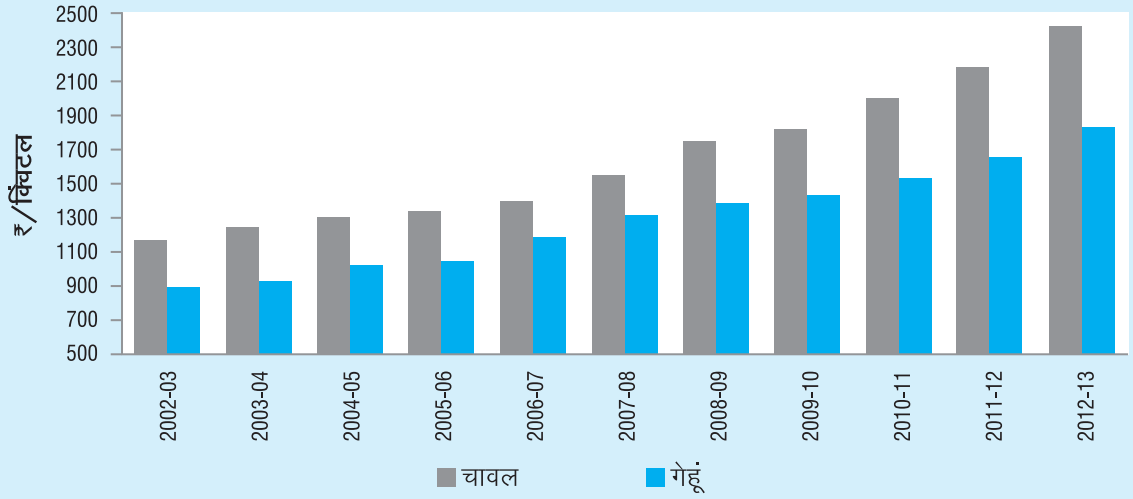

खाद्य सब्सिडी

8.49 गरीबों को सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के जरिए न्यूनतम पोषण सहायता का प्रावधान और विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो उद्देश्य हैं। हालांकि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में निरंतर बढ़ोतरी हुई है परन्तु निर्गम मूल्य में 1 जुलाई 2002 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः सरकार टीपीडीएस, अन्य पोषण आधारित कल्याणकारी योजनाओं और मुक्त बाजार योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों पर सब्सिडी की बड़ी और वृद्धिशील सब्सिडी प्रदान करना जारी रख रही है। खाद्य सब्सिडी बिल में विगत कुछ वर्षों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है जिससे सार्वजनिक राजकोष पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। (सारणी 8.8)।

टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं

8.50 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह का आवंटन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे (एपीएल) परिवारों को विभिन्न राज्यों में 15 किलो से 35 किलो का आवंटन किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं: (6.2.2013 तक)

- एएवाई, बीपीएल और एपीएल परिवारों को शामिल कर 499.42 लाख टन का सामान्य टीपीडीएस आवंटन किया गया।
- अब तक 78.98 लाख टन चावल और गेहूं का भी अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत (i)

चित्र 8.8: सरकार द्वारा प्रदत्त खाद्य सब्सिडी का परिमाण

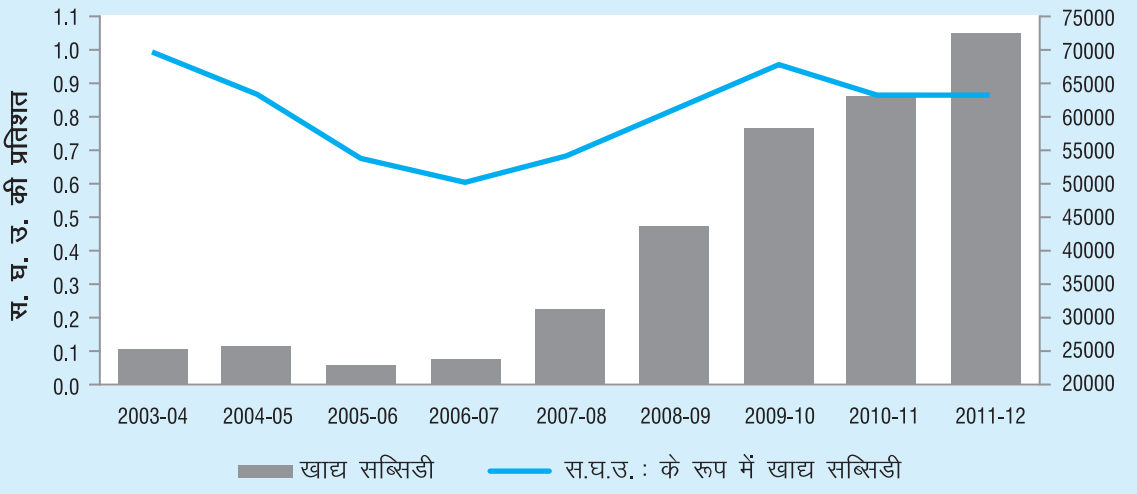

जुलाई 2012 में बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन और (ii) सर्वाधिक गरीब जनपदों को 21.21 लाख टन (iii) त्योहारों तथा आपदा राहत आदि के लिए 7.77 लाख टन चावल तथा गेहूं।

- एकीकृत बाल विकास सेवा तथा अन्नपूर्णा के अन्तर्गत मिड-डे मील स्कीम गेहूं आधारित पोषाहार कार्यक्रम जैसी अन्य कल्याणकारी स्कीमों के लिए 49.26 लाख टन चावल तथा गेहूं का आबंटन किया गया है।
- वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक कुल 627.67 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है।

खुला बाजार बिक्रीय योजना (घरेलू)

8.51 भारत सरकार की ओर से एफसीआई खुले बाजार के मूल्यों पर प्रभाव एवं अधिशेष स्टॉक को कम करने के लिए खाद्यान्नों की बाजार आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु खुले बाजार में पूर्व निर्धारित मूल्यों/रिजर्व मूल्यों पर गेहूं-चावल की बिक्री करता है। खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस[डी]), के तहत जुलाई 2012 से फरवरी 2013 की अवधि के लिए बहुत से उपभोक्ताओं के फुटकर बिक्री एवं छोटे निजी व्यापारियों को बिक्री के लिए 95 लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है। ओएमएसएस की खुदरा योजना के तहत मार्च, 2013 तक की अवधि हेतु राज्यों/संघशासित प्रदेशों/को-आपरेटिवों को बिक्री के लिए 5 लाख टन गेहूं व 5 लाख टन चावल आवंटित किए गए हैं।

देश में भंडारण क्षमता

8.52 केन्द्रीय भंडार खाद्यान्नों की भंडारण हेतु राज्यों एजेंसियों के पास उपलब्ध कवर और कवर प्लिंथ (सीएपी) सहित भंडारण क्षमता मार्च, 2012 में 291.32 लाख टन से 31 दिसंबर 2012 को बढ़कर 341.35 लाख टन हुई है। तथापि, इस वर्ष सर्वाधिक 823.17 लाख टन के उच्च स्टाक स्तर की जरूरत को पूरी करने के लिए एफसीआई ने स्टॉक के कुशल प्रबंधन हेतु अल्पकालीन किराए का आश्रय लिया है। देश में भंडारण क्षमता के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य निजी उद्यमियों, केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (सीडब्ल्यूसी) और राज्य वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशंस (सी डब्ल्यूसी) के माध्यम से भंडारण गोदामों का निर्माण करना है। पीईजी योजना के तहत, एफसीआई निजी निवेशकों को भंडारण क्षमता के 10 वर्ष और सीडब्ल्यू एवं एसडब्ल्यूसी को 9 वर्ष उपयोग करने की गारंटी देता है। 19 राज्यों में कुल 197 लाख टन क्षमता के गोदामों के निर्माण को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 132.73 लाख टन क्षमता को निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया है। इन उपायों से कवर गोदाम स्थान की कमी को काफी हद तक पूरा किए जाने की आशा है।

कृषि निर्यात

8.53 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टीओ) के अनुसार, विश्व व्यापार सांख्यिकी, 2012 (2011 में व्यापार के आधार पर) कृषि और खाद्य उत्पादों में वैश्विक निर्यात और आयात क्रमश: 1.66 ट्रिलियन अमेरीकी डालर और 1.82 ट्रिलियन अमेरीकी डालर है। इसमें भारत का हिस्सा क्रमश: 2.07 प्रतिशत एवं 1.24% है। भारत की स्थिति में कृषि व खाद्य निर्यात में स्थिति में सुधार आया है व यह 10वें स्थान पर है। वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि व सहायक उत्पादों का निर्यात 9.08% रहा जो 2010-11के दौरान भारत के कुल निर्यात का 6.9% था। हाल के वर्षों में, सरकार द्वारा लिए गए नीतिगत प्रोत्साहन में कृषि निर्यात में अपेक्षित काफी स्थायित्व आया है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के पर्याप्त स्टॉक को देखते हुए, सरकार ने केंद्रीय लोक-क्षेत्रक उपक्रमों के माध्यम से एफसीआई के केंद्रीय पूल स्टाक से 4.5 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी है एवं खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत गेहूं और चावल का निर्यात किया है। इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज पोर्ट के माध्यम से निजी खाते पर 31 मार्च, 2013 तक 6.50 लाख टन गेहूं उत्पाद के निर्यात की अनुमति भी दी गई है। यद्यपि ये उपाय सही दिशा में है, उत्पादों में अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी हासिल करने के लिए भारत को संकीर्ण बैंड में शुल्क वाली सतत दीर्घकालीन व्यापार नीति अपेक्षित है जिसमें इसको अपेक्षाकृत लाभ है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

8.54 खाद्य सुरक्षा के मुद्दे को व्यापक रूप से समाधान करने के लिए सरकार ने 22 दिसंबर, 2011 को लोकसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पेश किया। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ महिला व बच्चों को पोषण समर्थन हेतु प्रावधानों के अलावा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्नों हेतु 75% ग्रामीण एवं 50% शहरी आबादी की कवरेज का प्रावधान है। इसे पेश किए जाने के बाद, विधेयक को जांच हेतु खाद्य, उपभोक्ता मामले एवं जन-वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने विधेयक के संबंध में राय/सुझाव लेने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, विभिन्न अन्य संगठनों व व्यक्तियों से व्यापक परामर्श किया व राज्यों/संघशासित प्रदेशों का दौरा भी किया। स्थायी समिति ने 17 जनवरी, 2013 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी है, जिस पर संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श किया जा रहा है। सरकार इस ऐतिहासिक अधिनियमन को जल्द कानून बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पण्य वायदा बाजार

8.55 पण्य वायदा बाजार मूल्य खोज प्रक्रिया को आसान बनाता है और पण्य में मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए मंच प्रदान करता

सारणी 8.9 : उत्पाद भावी बाजार में व्यापार (व्यापार की मात्रा लाख में, टन मूल्य करोड़ में)

(व्यापार परिमाण, लाख टन में रु. करोड़ में)

उत्पाद	2011-11		2011-12		2012-13 (30-11-12 तक)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कृषि उत्पाद	4168 (32.6)	1456390 (12.2)	4942 (35.24)	2196150 (12.12)	3113 (30.77)	1536268 (13.21)
बुलियन	7.38 (0.05)	5493892 (46.0)	10.27 (0.07)	10181957 (56.17)	5.02 (0.05)	5363816 (46.13)
धातुएं	1410 (11.0)	2687673 (22.5)	1388 (9.9)	2896721 (15.98)	1046 (10.33)	2157139 (18.55)
ऊर्जा	7220 (56.4)	2310959 (19.3)	7686 (54.8)	2851270 (15.73)	5954 (58.85)	2569619 (22.1)
अन्य		29.04		6.45		1.28
कुल	12806	11948942	14026	18126104	10119	11626842

स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग।

नोट: अन्य उत्पादों की कुल मात्रा में प्रमाणित उत्सर्जन कमी का प्रमाणपत्र (ईसीआर) इलेक्ट्रिसिटी, हिटिंग ऑयल और पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल मात्रा प्रतिशत और संबंधित समूह के व्यापार के मूल्य हैं।

है। वर्तमान पण्य वायदा कारोबार का आयोजन पांच-राष्ट्रीय और 16 पण्य विशिष्ट क्षेत्रीय एक्सचेजों के जरिए किया जा रहा है। अब तक की स्थिति के अनुसार 113 वस्तुओं को वायदा कारोबार के लिए अधिसूचित किया गया है जिनमें से 51 वस्तुओं का 5 राष्ट्रीय और 16 क्षेत्रीय पथ-विशिष्ट बाजारों में सक्रियता से कारोबार किया जाता है।

वर्ष 2012-13 में अनुवर्ती वर्ष की समान अवधि की तुलना में कुल व्यापार मूल्य में कमी देखने में आई 1 (सारणी 8.9)

चुनौतियां और दृष्टिकोण

8.56 भारत में खाद्यान्न उत्पादन में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 2011-12 में खाद्यान्न का उत्पादन 259. 32 लाख टन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। यह उपलब्धि ऐसे समय में मिली है जब आम तौर पर यह मान्यता है कि दुनिया के कई हिस्सों में कृषि के लिए अपर्याप्त ध्यान दिए जाने के कारण खाद्य कमी और खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्रवृद्धि होगी। इसकी तुलना में भारतीय कृषि ने मुख्य रूप से समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के कारण अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर भी, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की औसत 3. 6 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर 4 फीसदी के लक्ष्य से कम रही। इसके अलावा, देश अपनी लगातार बढ़ती आबादी को खाद्य की कड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसी बहुत से बाधाएं और चुनौतियां हैं, जिनका निराकरण किए जाने की जरूरत है एवं देश को कृषि अनुसंधान, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करना होगा, बाजारों तक अधिक पहुंच, ऋण सुविधा बेहतर बनानी होगी ताकि कृषक समुदाय को समग्र होकर अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा सके और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

8.57 हालांकि भारत धान, गेहूं, दलहन, गन्ना, मसाले, और वृक्षारोपण फसलों जैसी कई प्रमुख फसलों के प्रमुख उत्पादकों में से एक है, उत्पादकता स्तरों के मामले में तुलना विश्वसनीय नहीं है, इन फसलों में से कई में बहुत कम रैंक हासिल है। इसके अलावा, अध्ययन दर्शाते हैं कि देश में विभिन्न फसलों में काफी अधिक उत्पादकता अंतर है। कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकती है अगर हम तकनीकी और नीति उपायों को अपनाकर इस उपज अंतराल को समाप्त करें। भारत के लिए खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर रहने के लिए पैदावार में सुधार करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई कृषि फसलों और उत्पादों में खुद की जगह बनाने के लिए मुख्य है।

8.58 अन्य चुनौती यह है कि अधिक स्थायी कृषि रणनीति अपनाते समय कृषि आय को कैसे अधिकतम किया जाए। यहां चिंता मृदा अपरदन, लवणता, जल भराव और पोषक तत्वों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूमि और जल गिरावट की है। जल संसाधनों के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न विषय भी हैं, विशेषकर हरित क्रांति बेल्ट में। अवनत भूमि और जल संसाधनों के पुनर्वास के लिए बेहतर प्रबंधन आचरण कुंजी है। गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग, फसलों की सूखा-प्रतिरोधी किस्मों की खेती, जल उपलब्धता के विवेकपूर्ण उपयोग, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, खेत दक्षता के स्तर में सुधार करने के लिए मशीनीकरण और सिंचाई सुविधाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए जाने चाहिए। कृषि अनुसंधान पर व्यय को पर्याप्त स्तर तक बढ़ाने की जरूरत है।

8.59 हमारे कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक तीव्रता वाली मौसम संबंधी घटनाओं और आवृत्ति के गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं और खाद्य उत्पादन एवं उसके द्वारा किसानों की आजीविका के संबंध में अधिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। वर्तमान फसल बीमा प्रणाली को अपरिहार्य जलवायु परिस्थितियों या कीट महामारी को समाप्त करने के लिए और अधिक परिष्कृत किए जाने की जरूरत है।

8.60 भारत में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट चिंता का प्रमुख विषय रहा है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, केवल खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि ही महत्वपूर्ण नहीं है, वरन् आम आदमी के भोजन की थाली में खाद्य वस्तुओं की सही मात्रा सुनिश्चित करना भी है। खाद्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़ाने और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी उत्पादों और प्रोटीन-प्रचुर मदों पर जोर दिया जाना आवश्यक है।

8.61 पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी क्षेत्रों में कृषि विकास की गति देश के बाकी हिस्सों की तुलना में धीमी रही है। देश के इन हिस्सों में कई फसलों में उत्पादन की अच्छी संभावनाओं का आने वाले वर्षों में जल्दी का लाभ उठाना चाहिए। अत: पूर्वी और उत्तरी-पूर्वी भारत में कृषि विकास के कार्यनीति लागू किए जाने की जरूरत है जिसमें खेती प्रणाली एप्रोच के माध्यम से स्थायीवत कृषि विकास के लिए कार्यनीति, कुशल राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन, पर्यावरण क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी मिशन, और चावल आधारित खेती प्रणाली लागू हो।

8.62 एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भारत में कृषि विपणन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। खराब सड़कों, बाजार के अलपविकसित बुनियादी ढांचे, और अत्यधिक विनियमों के कारण किसान की बाजारों में पहुंच में बाधा आती है। कई कृषि फसलों प्रकृति जल्दी खराब होने की होती है और कटाई के उपरांत निपटान के मुद्दों और विपणन की समस्याएं कृषि आय को प्रभावित करती हैं। यह आवश्यक है कि हम कृषि उत्पादन गतिविधियों के साथ प्रसंस्करण, लाजिस्टिक और खुदरा बिक्री को जोड़ने के लिए एक तंत्र विकसित करें जिससे कि वर्धित दक्षता बेहतर कृषि मूल्य आदि का सजृन किया जा सके। इन बाजार लिंकेजों के विकास कार्य में निजी क्षेत्र को अनुमति दी जानी चाहिए जिसके लिए आयुक्त सुधाार से मदद मिलेगी। हाल ही में, सरकार ने खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी है, जिसका कई किसान संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया है और इससे नई प्रौद्योगिकी और भारत में कृषि उपज के विपणन में निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

8.63 पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि, यह किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक माना जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन के न्यूनतम मूल्य का संकेत होता है। खाद्य सब्सिडी के रूप में इस प्रक्रिया में काफी लागत लगती है। इसके अलावा, बफर मानदंडों के ऊपर खाद्यान्नों की जमाखोरी की यह नीति, जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर और उसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं के दामों में बढ़ोत्तरी करने के आधार पर आलोचना के अंतर्गत आती है। कुशल खाद्य भंडार प्रबंधन, समय पर शेयरों की बिकवाली और एक स्थिर और पूर्वकथन योग्य व्यापार नीति तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

8.64 कृषि फसलों के पूर्वकथन की विश्वसनीय कृषि सांख्यिकी का सुदृढ़ीकरण और समय पर उपलब्धता एक तत्काल आवश्यकता है क्योंकि कृषि सांख्यिकी में अंतराल से कृषि विकास नियोजन और नीति में बाधा आएगी।

8.65 इनके और अन्य सुधारों के साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए निर्धारित 4 प्रतिशत लक्ष्य बनाए रखना संभव होना चाहिए।